न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:– 04 /2020 तारीखरजू:– 21.1.2020

उनवान:– बाबू लाल बनाम तहसीलदार वगै०

दावा वावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) 136 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
21.1.2020	वादी की और से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत डिवीजन इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) 136 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11.02.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	367-68 21-1-2020
11.2.20	वादी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। शामिल पत्रावली की गई। वादी की ओर से दावा बावत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय से पेश किया है कि ग्राम राजौली की जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 183 की आराजीयात कुल किता 26 कुल रकबा 4.18 है० में वादी का नाम बत्तू दर्ज कर दिया है जो गलत है बल्कि सही नाम बाबूलाल है, बत्तू बोलता नाम है जिसके आधार पर सम्वत 2030-2033 की जमाबंदी में बत्तू, श्रीफल, श्रीराम के नाम नामान्तकरण खोल दिया। अत: वादी का सही नाम बाबूलाल रिकार्ड में दर्ज कराने के आदेश फरमाये जावे। तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के पिता का विरासत का नामान्तकरण सम्वत 2030-2033 में खोला गया था। तब नामा० में बत्तू नाम दर्ज कर दिया। वादी का नाम बाबूलाल पुत्र किशोरी है बत्तू पुत्र किशोरी नाम का और कोई व्यक्ति ग्राम राजौली में नहीं है, बत्तू पुत्र किशोरी के स्थान पर बाबूलाल पुत्र किशोरी किये जाने की अनुशंषा की है। (लगातार) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	

Scanned by CamScanner

मु.नं. 4/2020 उनवान बाबूलाल बनाम तहसीलदार

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
	वादी वकील को सुना गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम राजोली की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 183 में खातेदारी बत्तू पुत्र किशोरी मीना के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है। विरासत के नामा० से यह आराजी बत्तू पुत्र किशोरी के नाम दर्ज की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र संख्या RJ/11/088/342398 आधार कार्ड संख्या 2919 0500 5762 राशनकार्ड संख्या 00762 7200368, भामाशाह कार्ड संख्या BCKKSBH में बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल जाति मीना दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय बत्तू नाम दर्ज हो गया। वादी का नाम बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल है, बत्तू s/o किशोरी नाम का और कोई व्यक्ति ग्राम राजोली में नहीं है। बत्तू s/o किशोरी के स्थान पर बाबूलाल पुत्र किशोरी किये जाने की अनुशंषा की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम राजोली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज बत्तू s/o किशोरी के स्थान पर बाबूलाल s/o किशोरी दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ। अतः ग्राम राजोली की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 183 में दर्ज नाम बत्तू s/o किशोरी के स्थान पर बाबूलाल s/o किशोरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णयानुसार - तहसीलदार टोडाभीम पालना करें। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.2.20 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (दुर्गाप्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:54:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: